पत्र संख्या : 7ब / 2702–स्था०व्य०यो०–01–08 / 2019 ज०सं०.....180

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक 17/12/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग संख्या– 50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2702– लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल, लघु शीर्ष–005 अन्वेषण, उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष **2702– लघु सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या / मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 2702–लघु सिंचाई	02– भू–जल	005–अन्वेषण / 01–सर्वेक्षण एवं जॉच	**219.950**

कुल आवंटित राशि – **रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख पंचानबे हजार मात्र**

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 10528.49 लाख **(एक सौ पाँच करोड़ अठाइस लाख उनचास हजार)** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।

6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आबंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत हीं अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में **Access No** तथा **Revoke No/ Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 180 रॉची, दिनांक :– 17/12/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/हजारीबाग सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 180 रॉची, दिनांक :– 17/12/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज॰सं॰वि॰ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय) संयुक्त सचिव	(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19 अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या–50–जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष–2702–लघु सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–02–भू–जल
लघु शीर्ष–005 अन्वेषण / उप शीर्ष–01 सर्वेक्षण और जॉच

परिशिष्ट I

पत्रांक 180 दिनांक 17/12/19 का अनुलग्नक

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष 2019–2020		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50S270202005010101	50S270202005010110	50S270202005010112	50S270202005010213	50S270202005010315	50S270202005010316	50S270202005010323	50S270202005010333	50S270202005010331	50S270202005010337	50S270202005010442	50S270202005010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	योजना मोनेटरिंग एवं आयोजन अंचल–3,रॉची	पूर्व का आवंटन	81.000	0.000	0.000	0.700	0.900	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.900	0.000	83.650	
		अतिरिक्त आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.450	0.000	25.750	
		कुल आवंटन	106.000	0.000	0.000	0.700	1.150	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	1.350	0.000	109.400	
2	लघु सिचाई अंचल, दुमका	पूर्व का आवंटन	120.000	0.000	0.200	0.500	0.500	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.700	0.000	122.200	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.400	0.200	0.650	
		कुल आवंटन	120.000	0.000	0.200	0.500	0.500	0.000	0.150	0.200	0.000	0.000	1.100	0.200	122.850	
3	लघु सिचाई अंचल–रॉची	पूर्व का आवंटन	118.000	0.000	0.200	0.500	0.500	0.000	0.150	0.150	0.000	0.300	0.900	0.000	120.700	
		अतिरिक्त आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	20.400	
		कुल आवंटन	138.000	0.000	0.200	0.500	0.500	0.000	0.150	0.150	0.000	0.300	1.300	0.000	141.100	
4	लघु सिंचाई अंचल–हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	94.080	0.000	0.250	0.800	0.700	0.150	0.120	0.150	0.000	0.000	0.900	0.150	97.300	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	1.150	
		कुल आवंटन	94.080	0.000	0.250	1.400	0.700	0.150	0.120	0.200	0.000	0.000	1.400	0.150	98.450	
5	लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमंडल–रॉची	पूर्व का आवंटन	200.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.000	0.200	0.150	0.000	0.200	1.100	0.000	202.700	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.100	15.400	
		कुल आवंटन	215.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.000	0.200	0.150	0.000	0.200	1.400	0.100	218.100	
6	लघु सिंचाई प्रमंडल–खूँटी	पूर्व का आवंटन	246.000	0.000	0.200	0.200	0.450	0.120	0.150	0.150	0.000	0.200	0.700	0.100	248.270	
		अतिरिक्त आवंटन	19.750	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	20.100	
		कुल आवंटन	265.750	0.000	0.200	0.200	0.450	0.120	0.150	0.200	0.000	0.200	1.000	0.100	268.370	
7	लघु सिचाई प्रमंडल–गढ़वा	पूर्व का आवंटन	177.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.200	0.900	0.100	179.350	
		अतिरिक्त आवंटन	48.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	48.900	
		कुल आवंटन	225.500	0.000	0.000	0.400	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.200	1.100	0.300	228.250	
8	लघु सिंचाई प्रमंडल–गुमला	पूर्व का आवंटन	282.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.150	0.100	0.100	0.000	0.300	0.700	0.100	284.500	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	0.300	0.650	
		कुल आवंटन	282.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.150	0.100	0.100	0.000	0.300	1.050	0.400	285.150	
9	लघु सिचाई प्रमडल–रामगढ़	पूर्व का आवंटन	256.000	0.000	0.000	0.450	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.200	0.900	0.000	258.300	
		अतिरिक्त आवंटन	37.900	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	38.250	
		कुल आवंटन	293.900	0.000	0.000	0.450	0.450	0.000	0.150	0.200	0.000	0.200	1.200	0.000	296.550	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

क० सं०	वित्तीय वर्ष 2019–2020		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	50S270202005010101	50S270202005010110	50S270202005010112	50S270202005010213	50S270202005010315	50S270202005010316	50S270202005010323	50S270202005010333	50S270202005010334	50S270202005010337	50S270202005010442	50S270202005010760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	लघु सिंचाई प्रमंडल–लोहरदग्गा	पूर्व का आवंटन	160.000	0.000	0.200	0.400	0.450	0.150	0.150	0.150	0.000	0.200	0.900	0.000	162.600	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.200	
		कुल आवंटन	160.000	0.000	0.200	1.600	0.450	0.150	0.150	0.150	0.000	0.200	0.900	0.000	163.800	
11	लघु सिचाई प्रमंडल–सिमडेगा	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.150	0.150	0.050	0.000	0.200	0.900	0.100	222.400	
		अतिरिक्त आवंटन	22.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	22.300	
		कुल आवंटन	242.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.150	0.150	0.050	0.000	0.200	1.200	0.100	244.700	
12	लघु सिचाई रूपांकण प्रमंडल–दुमका, शिविर देवघर	पूर्व का आवंटन	224.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.250	0.150	0.050	0.000	0.200	0.300	0.000	225.800	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.700	1.000	
		कुल आवंटन	224.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.250	0.150	0.050	0.000	0.200	0.600	0.700	226.800	
13	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, रॉची	पूर्व का आवंटन	224.000	0.000	0.300	0.400	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.300	0.700	0.100	226.550	
		अतिरिक्त आवंटन	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	
		कुल आवंटन	234.000	0.000	0.300	0.400	0.450	0.000	0.150	0.150	0.000	0.300	0.700	0.100	236.550	
14	निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय,रॉची	पूर्व का आवंटन	69.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.150	0.100	0.000	0.250	0.700	0.100	71.100	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	0.350	
		कुल आवंटन	69.000	0.000	0.000	0.200	0.900	0.000	0.150	0.150	0.000	0.250	0.700	0.100	71.450	
15	भूगर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल–रॉची	पूर्व का आवंटन	115.000	0.000	0.000	0.200	0.650	0.000	0.150	0.100	0.000	0.300	1.300	0.000	117.700	
		अतिरिक्त आवंटन	13.000	0.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.400	0.000	13.850	
		कुल आवंटन	128.000	0.000	0.000	0.200	1.00000	0.000	0.150	0.200	0.000	0.300	1.700	0.000	131.550	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		211.150	0.000	0.000	1.800	0.900	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	4.200	1.500	219.950	

नोट 1: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

नोट: किराया, दरें मद में अतिरिक्त राशि का आबंटन मनीसुट सं0 01/2014 में सीनीयर जज, साहेबगंज द्वारा दिनांक 18.08.15 को पारित न्याय निर्णय तथा विधि विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०– सी०/डी०डी०ए०–03/2017–792/जे०,रांची, दिनांक 13 अप्रैल,2017 के आलोक में जयघोष(मूलधन) की राशि के भुगतान हेतु ।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख पंचानबे हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

180
17/12/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव